कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट–04/2020–495 दिनांक :25/6/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

उप वन संरक्षक, एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना जमशेदपुर/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची/ उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर/ उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पर्यावास उन्नयन हेतु वन वर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा वनरोपण एवं घास मैदान का विकास का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु कुल **रू0 47.822 लाख (सैंतालीस लाख बेरासी हजार दो सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–18/2020–13/स्वी0 व0प0 दिनांक 22.10.2020 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0–18/2020–08/आ0 व0प0 दिनांक 23.05.2021 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–61 वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 47.822 लाख (सैंतालीस लाख बेरासी हजार दो सौ रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	**विपत्र कोड**	**(राशि लाख में)**
मजदूरी	19S240601101610103	37.118
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101610323	10.704
कुल :–		**47.822**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यो की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क)** एवं **(ख)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601101610103, 19S240601101610323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4 (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जाए।

(II) राशि की निकासी संबंधित जिला में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

(III) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड होंगे।

6. (I) निकासी एवं व्यय पदाधिकारी योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमण्डलीय लेखा में प्रवृष्टि की समीक्षा करेंग एवं समीक्षोपरान्त इस कार्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

(III) नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कार्यान्यन एजेंसी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यता हो, तद्नुसार निर्देश इस स्तर से प्राप्त करना चाहेंगे।

(IV) नियंत्री पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाए यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(IV) दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जाएगा।

(V) विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदानी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाए। यइ राशि कोषागार में जमा दी जाए। कंउम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाए। स्टाकपंजी इत्यादि तद्नुसार सत्यापित एवं update रहे।

7. Monitoring : विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जाएगी :-

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाए। वित्तीय वर्ष 2020-21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाए।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार Monitor, भारत सरकार के पैर्टन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

8. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना का सफल कार्यान्वियन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक इस कार्यालय को समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाए।

(V) मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 1126 दिनांक 11.08.2020 एवं मुख्य वन एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना के पत्रांक 1274 दिनांक 11.08.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित कार्यों पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है, जिसके आलोक में राशि का उप आवंटन किया जा रहा है।

(VI) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाए। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MANREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करावें।

(VII) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VIII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाए।

(IX) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चत करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(X) कंडिका–IX के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरुप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) सभी यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन के पश्चात् मशीन एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाएगा।

(III) वैसे यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाए। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाए। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाए।

10. **COVID-19** के रोकथाम के संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जाएगा उनके Social distancing तथा उनके मास्क का पयोग अनिवार्य रखा जाएगा। हैन्डवास इत्यादि की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए।

(II) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरिडीह एवं गोड्डा जिला में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(III) कंडिका–10 (II) की monitoring भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। कंडिका–II में अंकित पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी इस योजना के अधीन रहेंगे।

11. निकासी एवं व्यय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा एवं कंडिका–12 के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देंखे कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध रशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरणीकरण न हों।

13. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686 दिनांक 05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप की जाएगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542 दिनांक, दिनांक 11.03.2015 के अनुरूप किया जाएगा।

17. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत योजना–सह–वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– 01/यो0बजट–04/2020– 495 दिनांक– 25/6/2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– 01/यो0बजट–04/2020–495 दिनांक– 25/6/2021

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/ डोरण्डा, राँची/ मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जानेवाली "वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पर्यावास उन्नयन हेतु वन वर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा वनरोपण तथा घास मैदान का विकास का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामाग्री	योग
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर।	**दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी** पर्यावास उन्नयन हेतु वन वर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा वनरोपण।	150	10.601	1.710	12.311
		योग :–		**10.601**	**1.710**	**12.311**
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची।	**पालकोट वन्यप्राणी आश्रयणी** पर्यावास उन्नयन हेतु वन वर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा वनरोपण।	50	3.534	0.570	4.104
		योग :–		**3.534**	**0.570**	**4.104**
3	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।	**पलामू व्याघ्र आरक्ष** नये घास–मैदान का विकास।	30	11.675	6.600	18.275
		योग :–		**11.675**	**6.600**	**18.275**
4	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।	**पलामू व्याघ्र आरक्ष** पर्यावास उन्नयन हेतु वन वर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा वनरोपण।	160	11.308	1.824	13.132
		योग :–		**11.308**	**1.824**	**13.132**
		सकल योग:–		**37.118**	**10.704**	**47.822**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\DEVELOPMENT\2021-22\Allotment\OA\Wildlife Conservation & Crime Control\S.O. 13 dt 22.10.2020\2nd year

अनुलग्नक–

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : 311.33 कार्य दर प्रति हे0

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling स्थाई पौधशाला (न्यूनतम 40 प्रतिशत)	220	2	622.66	640.00	1262.66	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रू 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		4.40	1369.85	0.00	1369.85	
3	दो कोड़नी निकौनी	हे0	5	1556.65	0.00	1556.65	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे0	0	0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य		4	1245.32	0.00	1245.32	
6	पौधों की सुरक्षा (25 हे0 तक के लिए पशुरक्षक)		7.30	2272.71	0.00	2272.71	ट्रेन्च घेरान की मरम्मति
	योग–		**22.70**	**7067.19**	**1140.00**	**8207.19**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\DEVELOPMENT\2021-22\Allotment\OA\Wildlife Conservation & Crime Control\S.O. 13 dt 22.10.2020\2nd year

अनुलग्नक–

पलामू ब्याघ्र आरक्ष में 1 हे0 वनभूमि में घासस्थलों के विकास एवं रख–रखाव कार्यो हेतु कार्य दर

मजदूरी दर प्रति मानव दिवसः 311.33 रूपये

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)					
1	वर्षा के पूर्व स्थल की ट्रेक्टर द्वारा जुताई 6" गहराई तक एवं खाद	10.00	3113.30	2000.00	**5113.30**	औसत 4 घंटा प्रति हे0 / 500/- प्रति घंटा
2	घास एवं उसके बीजों का संग्रहण/क्रय	0.00	0.00	10000.00	**10000.00**	–
3	घास/घास के बीजों का बालू या मिट्टी मिश्रण के साथ	15.00	4669.95	0.00	**4669.95**	
4	कंपोस्ट एवं गोबर खाद –12 टन/हेक्टेयर	0.00	0.00	9000.00	**9000.00**	–
5	दो बार निकाई/पानी पटवन एवं सुरक्षा	40.00	12453.20	1000.00	**13453.20**	–
7	झाड़ी घेरान (10 चेन लंबाई हेतु)	60.00	18679.80	0.00	**18679.80**	प्रति हे0 औसत 10 चेन
	योग	**125.00**	**38916.25**	**22000.00**	**60916.25**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\DEVELOPMENT\2021-22\Allotment\OA\Wildlife Conservation & Crime Control\S.O. 13 dt 22.10.2020\2nd year

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-04/2020/495 दिनांक - 25-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110161010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26863	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR 03 - मजदूरी	1,060,100.00 रुपये दस लाख साहठ हजार एक सौ
2	S 19 24060110161010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26872	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 03 - मजदूरी	353,400.00 रुपये तीन लाख तीरपन हजार चार सौ
3	S 19 24060110161010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26874	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.NORTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	1,167,500.00 रुपये ग्यारह लाख सड़सठ हजार पाँच सौ

योग: रुपये पच्चीस लाख इक्कयासी हजार 2,581,000.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
APPL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

59.97.145.98

[redacted]

पत्र संख्या - 01/YB-04/2020/495 **दिनांक -** 25-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110161010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26878	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	1,130,800.00 रुपये ग्यारह लाख तीस हजार आठ सौ
5	S 19 24060110161010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26882	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	171,000.00 रुपये एक लाख इकहत्तर हजार
6	S 19 24060110161010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26885	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	57,000.00 रुपये सत्तावन हजार

योग: रुपये उनचालीस लाख उनचालीस हजार आठ सौ — 1,358,800.00

क्रमिक योग: 3,939,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI

 59.97.145.98 [redacted]

पत्र संख्या - 01/YB-04/2020/495

दिनांक - 25-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110161010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26887	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.NORTH.DIV.MED 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	660,000.00 रुपये छः लाख साहठ हजार
8	S 19 24060110161010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	26889	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	182,400.00 रुपये एक लाख बयासी हजार चार सौ

योग: 842,400.00

रुपये सैतालीस लाख बयासी हजार दो सौ

क्रमिक योग: 4,782,200.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI

59.97.145.98

[redacted]